न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/02/2013	2013/00001	09–10–2013	04–01–2024

1– बचनसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रतापसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

2– बेअंत सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रतापसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

3– मु0श्रवण कौर पुत्री स्व0 श्री प्रतापसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

अपीलान्टस

बनाम

1–श्रीमती रणजीत कौर बेवा स्व0 जोगिन्दर सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

2– हरदेवसिंह पुत्र स्व0 जोगिन्दर सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

3– गुरुदेव सिंह पुत्र स्व0 जोगिन्दर सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

4– श्रीमती गुरमीतकौर पुत्री स्व0 जोगिन्दर सिंह जाति ब्राह्मण सिख हाल निवासी ग्राम पाटा तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

5– तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर रामगढ़ तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तह0 रामगढ़ जिला अलवर का आदेश दिनांक 24.06.1997 ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–

01. श्री उदय सिंह —वकील अपीलान्टस

02. श्री देवेन्द्र कुमार जैन — वकील रेस्पोडेन्ट्स

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ़ का आदेश दिनांक 24.06.1997 ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट्स के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम दिनांक 24.06.1997 तहसीलदार कम मैनेजिंग आफीसर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0 के द्वारा पट्टा संख्या 5361 जारी किया गया जिसकी जानकारी 19.07.2010 को हुई, जबकि विवादित आराजीयात पर रेस्पोडेण्टान के साथ अन्य लोग उसे खरीदने व देखने आये व उन्होंने बताया कि विवादित आराजीयात का पट्टा रेस्पोडेण्टान संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति स्व0 जोगेन्द्र सिंह के हक में है व उनके हक में इंतकाल भी तस्दीक हुआ है जिस पर पट्टा की नकल प्राप्ति हेतु दिनांक 19.07.2010 को आवेदन जिला कलैक्टर पुर्नवास विभाग अलवर राज0 में किया गया, जहां नकल प्राप्ति का आवेदन पत्र विचाराधीन रहा जो आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2010 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलाण्टान के द्वारा चाही गयी नकल रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस प्रकार मौजूदा अपील आज्ञा दिनांक 24.06.1997 जानकारी होने से व नकल की दर0 खारिज होने से साधारणतः अंदर अवधी पेश है। अपीलाण्ट सं0 1 ला0 3 के पिता स्व0 प्रतापसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तह0 रामगढ जिला अलवर राज0 के निवासी थे जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय वर्ष 1950 में पाकिस्तान से आये थे जिनको 27 बीघा 6 बिस्वा जमीन जिसके ख0नं0 साबिक 778 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 794 रकबा 15 बिस्वा चाही दोयम, ख0नं0 801 रकबा 12 बिस्वा चाही दोयम, ख0नं0 981 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 999 रकबा 2 बीघा बारानी प्रथम, ख0नं0 1000 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0 नं0 1001 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 1002 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 1003 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बारानी दोयम, ख0नं0 1004

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बारानी दोयर, ख0नं0 1287 रकबा 14 बिस्वा चाही प्रथम व बारानी व ख0नं0 1252 रकबा 16 बिस्वा चाही व बारानी व ख0नं0 1256 रकबा 10 बिस्वा चाही, ख0नं0 1258 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 1259 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा प्रथम, ख0नं0 1281 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 1329 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, ख0नं0 1330 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा बारानी प्रथम, ख0नं0 1359 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा बारानी प्रथम कुल किता 19 कुल रकबा 27 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0 में आवंटित हुयी, जिनका सेटलमेण्ट विभाग द्वारा संवत् 2020 में उपरोक्त खतोनी जमाबन्दी में गैर खातेदारी में नाम अंकित है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के ससुर व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ला0 4 के दादा स्व0 श्री बाबूप्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह भी भारत पाक विभाजन में पाकिस्तान से आये थे तथा वो भी ग्राम मुबारिकपुर में निवास करते थे जिनको भी जमीन आवंटित हुई थी, परंतु रेस्पोडेण्ट सं0 1 के ससुर व 2 के दादा का पूरा नाम बाबू प्रतापसिंह ही था। बाबू प्रतापसिंह के देहांत के बाद उनका विरासत इंतकाल उनके पुत्र जोगेन्द्रसिंह रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पति व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ला0 4 के पिता थे, के नाम गैर खातेदारी का तस्दीक किया गया। इस प्रकार आराजीयात बाबू प्रतापसिंह को आवंटित हुई। उसका विरासत इंतकाल स्व0 जोगेन्द्रसिंह पुत्र बाबू प्रतापसिंह के हक में तस्दीक हुआ। अपीलाण्ट के पिता स्व0 श्री प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह ने अपनी कुल आराजीयत की वसीयत दिनांक 31.07.1985 को अपीलाण्टान के हक में तहरीर व तकमील कराकर उस पर अपने अंगूठा निशानी लगा दिये। चूंकि, उनको लकवा की शिकायत थी इसलिए वो दस्तखत नहीं कर सके व वसीयत पर उन्होंने गवाहान की गवाही करा दी व वसीयत को सब रजिस्ट्रार रामगढ से पंजिबद्ध करा दिया। इस प्रकार बाद वफात प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह उनकी कुल आराजीयात पर बहैसियत मालिक काबिज खातेदार काश्तकार हुए एवं उन पर कब्जा वास्तविक रूप से चला आ रहा है। अपीलाण्टान के पिता स्व0 श्री प्रतापसिंह की खातेदारी की अन्य आराजीयात का इंतकाल तो अपीलाण्टान के हक में ही हुआ, परन्तु तीन खसरा नंबरान साबिक 794 हाल नंबर 1320 रकबा 0.18 ऐयर चाही व ख0नं0 साबिक 1329 हाल 2152 रकबा 0.01 ऐयर और मुमकिन चाह व ख0नं0 साबिक 1330 हाल 2153 रकबा 0.59 ऐयर गैर मुमकन चाही कुल किता 3 रकबा 0.78 ऐयर जो अपीलाण्ट के पिता की आवंटितशुदा भूमि थी। उनका विरासत इंतकाल बिना किसी अधिकार के रेस्पोडेण्टान सं0 1 ला 4 के हक में रेस्पोडेण्ट सं0 5 ने दर्ज कर दिया जिसका आधार तथाकथित पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 माना, जो कस्टोडियन से जारीशुदा है। इस प्रकार तथाकथित पट्टा दिनांक 24.06.1997 को आधार मानते हुए अपीलाण्टान के पिता के खातेदारी की आराजी ख0नं0 1320 व ख0नं0 2152 व ख0नं0 2153 की बाबत रेस्पोडेण्ट सं0 5 ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 ला 4 के हक में विरासत इंतकाल सं0 574 दर्ज कर दिया जो बाला–बाला विधि विरूद्ध एवं मनमाने तरीके पर किया गया है जिसको अपास्त कराने हेतु पृथक से अपील पेश की जा चुकी है। तथाकथित पट्टा दिनांक 24.06.1997 जो कस्टोडियन से जारीशुदा है उसकी अपीलाण्टान को जानकारी उस समय हुई जब इंतकाल सं0 574 दिनांक 14.07.2010 को तस्दीक होने के पश्चात् रेस्पोडेण्ट सं0 1 ला0 4 व अन्य लोग अपीलाण्टान की आराजीयात पर दिनांक 19.07.2010 को आये तब अपीलाण्टान को इस तथ्य की जानकारी हुयी कि हम अपीलाण्टान की आराजीयात को समाहित करते हुए रेस्पोडेण्ट सं0 5 ने पट्टा सं0 5361 स्व0 जोगेन्द्र सिंह के हक में जारी किया है। उससे पूर्व अपीलाण्टान को उक्त तथाकथित पट्टे की कोई जानकारी नहीं थी, चूंकि तथाकथित पट्टा गैर खातेदारी से खातेदारी में परिवर्तन का है, जबकि विवादित आराजीयात रेस्पोडेण्टान के पिता व पति व उनके दादा की खातेदारी में कभी नहीं रही है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पति व रेस्पोडेण्ट से0 2, 3, 4 के पिता स्व0 श्री जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री बाबू प्रतापसिंह के द्वारा एक दावा धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत अपीलाण्ट व उनके अन्य भाई–बहनों के विरूद्ध दिनांक 11.07.2006 को उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के यहां बअनवान जोगेन्द्रसिंह बनाम गुरूबचन सिंह के नाम से दायर किया। जिसमें वाद पत्र में यह अंकित किया हुआ है कि वादी ने पुनर्वास विभाग को आराजी की कीमत अदा करके पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 मिल चुका है जिसका इंतकाल सं0 1631 वादी के हक में दिनांक 10.07.1991 को तस्दीक हुआ है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ला 4 ने रेस्पोडेण्ट सं0 5 से अपना बेजा मेल मिलाया हुआ है। उसने पटवारी हल्का से सांठगांठ करके गलत रिपोर्ट तैयार कराकर उक्त आधारों पर विधि विरूद्ध इंतकाल तस्दीक कराया है जो अपास्त होने योग्य है। चूंकि, उक्त वाद में वादी जोगेन्द्रसिंह यानी रेस्पोडेण्टान के पिता व पति ने ही स्टे कराया हुआ था एवं स्वयं ने ही स्टे वैकेट कराया तथा उसको तहसीलदार ने आधार बनाकर विवादित तीन किता खसरा नंबरान की बाबत इंतकाल सं0 574 रेस्पोडेण्टान के हक में तस्दीक किया है, जो काबिले गौर अदालत श्रीमान है। तहसीलदार कम मैनेजिग आफीसर रामगढ के द्वारा पटटा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 गलत तरीके व विधि विरूद्ध बिना सुनवाई व जांच किये जारी किया गया है। जिन विवादित खसरा नंबरान तीन किता से रेस्पोडेण्टान के दादा व ससुर स्व0 श्री बाबू प्रतापसिंह का कोई सरोकार व वास्ता नहीं था ना ही कभी उक्त तीन खसरा नंबरान उनकी गैर खातेदारी, ना ही खातेदारी में रहे, ना ही रेस्पोडेण्टसं0 1 ला0 4 के पिता व पति जोगेन्द्रसिंह की गैर खातेदारी में रहा, इसी प्रकार कभी भी उक्त खसरा नंबरान पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 ला0 4 कभी काबिज रहे ना ही उन्होंने कभी काश्त की ना ही उनकी खातेदारी में है। आज भी उक्त तीनों खसरा नंबरान पर अपीलाण्टान का ही कब्जा बहैसियत मालिक खातेदार काश्तकार चला आ रहा है एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

अपीलाण्टान के द्वारा ही तीनों खसरा नंबरान पर काश्त की जाती है। चूंकि, रेस्पोडेण्टान के पिता व पति स्व0 जोगेन्द्रसिंह के पिता का नाम बाबूप्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह था व अपीलाण्टान के पिता का नाम प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह था जिसका एक नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेण्टान के पिता व पति जोगेन्द्रसिंह ने विवादित तीन किता खसरा नंबरान की बाबत अपने हक में पट्टा जारी कराया है एवं रेस्पोडेण्टान ने उसका इंतकाल बाला–बाला तस्दीक कराया है, जबकि रेस्पोडेण्टान के दादा व ससुर अपने नाम के आगे बाबू लगाते थे तथा उनकी अलग जमीन है तथा अपीलाण्टान के पिता अपने नाम को मात्र प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह लिखते थे जिस बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत है, परंतु रेस्पोडेण्टान के पिता व पति जोगेन्द्रसिंह ने अपने पिता व अपीलाण्टान के पिता के एक नाम होने का नाजायज फायदा उठाया है। तथाकथित पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 जो रेस्पोडेण्टान के पिता व पति जोगेन्द्रसिंह के नाम जारी हुआ, उसमें विवादित तीन किता खसरा नंबरान 1320, 2152, 2153 की बाबत इंतकाल जोगेन्द्रसिंह के हक में ही तस्दीक नहीं हुआ, परंतु रेस्पोडेण्ट सं0 5 ने इस तथ्य को गौर किये बिना ही एवं छुपाते हुए सीधे ही रेस्पोडेण्टान के हक में विवादित तीन किता खसरा नंबरान का इंतकाल तस्दीक कर दिया गया। इस प्रकार अपीलाण्टान की आराजीयात का गलत समावेशन किया गया है। रेस्पोडेण्टान बाहोशियार व मुकदमाबाज शख्स हैं, जो येन केन प्रकारेण, विवादित खसरा नंबरान को जमाबंदी व अन्य दस्तावेजात में अपने नाम दर्ज कराकर व पट्टे के आधार पर बेचान करने व रहन बय हिबय से मुंतकिल करने पर उतारू हैं। यदि रेस्पोडेण्टान ने ऐसा कर दिया तो अपीलाण्टान को ऐसा भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी। इसलिए ताफैसला अपील रेस्पोडेण्टान को इस कदर पाबंद किया जावे कि वे विवादित पट्टा सं0 5361 दिनांक 24.06.1997 के आधार पर तीन किता खसरा नंबरान हाल नबंर 1320 रकबा 0.18 ऐयर चाही व ख0नं0 2152 रकबा 0.1 ऐयर गैर मुमकिन चाह व ख0नं0 2153 गैर मुमकिन चाह कुल किता 3 रकबा 0.78 ऐयर वाके ग्राम मुबारिकपुर तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0 को दीगर जगह रहन बय हिबय से मुंतकिल ना रके व अपीलाण्टान को जबरन बेदखल करके कब्जा ना रकें व कागजात माल में अपने नाम अमल दारामद ना करावें व कागजात माल राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति व मौके की स्थिति यथावत बनाए रखे व तहत अदालत की आज्ञा का प्रचलन भी स्थगित किया जावे। यह कि अपील अपीलाण्टान पेश कर निवेदन है कि अपील हाजा स्वीकार किया जाकर तहत अदालत रेस्पोडेण्ट सं0 5 की आज्ञा दिनांक 24.06.1997 पट्टा सं0 5361 जो विवादित खसरा नंबरान हाल नंबरान 1320 रकबा 0.18 ऐयर चाही व ख0नं0 2152 रकबा 0.1 ऐयर गैर मुमकिन चाह व ख0नं0 2153 गैर मुमकिन चाही कुल किता 3 रकबा 0.78 ऐयर की बाबत व अन्य आराजीयात की बाबत स्व0 जोगेन्द्र सिंह के हक में पारित किया गया है, वह विवादित आराजीयात की हद तक अपास्त किया जावे व उसी हद तक पट्टा निरस्त किया जावे व खर्चा मुकदमा अपीलाण्टान को रेस्पोडेण्टान से दिलाया जावे।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मेनेजिंग ऑफिसर रामगढ़ दिनांक 24.06.1997 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने पट्टा सं0 5361 की अपील जो रेस्पोडेण्ट के बुजुर्ग के नाम जारी हुआ है, अनुमति नहीं ली गयी है। अपीलाण्ट द्वारा अपील 13 वर्ष बाद पेश की गयी है जिसका उचित कारण दर्ज नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स विवादित आराजी पर काबिज हैं और काश्त करते चले आ रहे हैं। रेस्पोडेण्ट के ससुर व दादा प्रतापसिंह उर्फ बाबूप्रताप सिंह पुत्र हरिसिंह तथा अपीलाण्ट के पिता एक ही नाम व वल्दीयत के हैं। अपीलाण्ट को 27 बीघा 6 बिस्वा आराजी आवंटित होना दर्ज किया गया है, जबकि रेस्पोडेण्ट को 16 बीघा 13 बिस्वा आवंटित हुई है। विवादित आराजी अपीलाण्ट को आवंटित नहीं हुई, बल्कि रेस्पोडेण्ट को आवंटित हुई है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं था। अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत करने के लिए धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। जोगेन्द्र सिंह के पिता का नाम प्रतापसिंह है और दादा का नाम हरिसिंह है। बाबू प्रताप सिंह व प्रतापसिंह एक ही व्यक्ति है। रेस्पोडेण्ट के बुजुर्ग का नाम जानबूझकर बाबू प्रतापसिंह अंकित किया है जो नाम सर्वप्रथम इंतकाल नंबर 1844 के पृष्ठ भाग पर आया है। विवादित आराजी बाबू प्रतापसिंह नाम की रेस्पोडेण्ट की कब्जे काश्त खातेदारी की है। अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद निकलने के बाद पेश की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे। रेस्पोडेण्ट द्वारा ताईद में 1989 आर.आर.डी. 292, 1990 आर.आर.डी. 289, 2023(1) आर.आर.टी. 93, 396, 2011(1) आर.आर.टी. 49, 2018–19 (supp.) आ.आर.टी. 2018, ए.आई.आर. 2018 एस.सी. 4724 पेश किये हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील ओदश दिनांक 24.06.1997 के विरूद्ध दिनांक 04.10.2010 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब 13 वर्ष विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में मुख्य तर्क यह उठाया है कि विवादित आराजी का पट्टा जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट के पिता व पति स्व0 जोगेन्द्र सिंह के हक में पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर (राज0)

किया है, को विवादित आराजी की हद तक निरस्त किया जावे। विवादित पट्टे में मुख्य बिन्दु अपीलाण्ट के पिता व रेस्पोडेण्ट के दादा व ससुर प्रताप सिंह उर्फ बाबू प्रताप सिंह के नाम में विवाद होने से उत्पन्न हुआ है। जो एक विस्तृत जांच का बिंदु है। अधिनस्थ न्यायालय को उक्त संबंध में जांच करने की आवश्यकता है। हमने मूल पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2040 का अवलोकन किया जिसमें रेस्पोडेण्ट के दादा व ससुर के नाम आवंटित विवादित पट्टे में जो खसरा नंबर 1334, 1335, 1337, 1340, 1450 है, उनमें प्रतापसिंह के पिता का नाम हरिसिंह ना होकर हीरासिंह दर्ज है। जिससे भी उक्त पट्टे के संबंध में जांच किया जाना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सामने आया है कि नामांतकरण संख्या 1631 व 1844 में स्व0 जोगेन्द्र सिंह के पिता का नाम बाबू प्रतापसिंह दर्ज है। उक्त सभी दस्तावेजात को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण को पुनः अधिनस्थ न्यायालय को विचारार्थ लौटाया जाना उचित समझते हैं।

अतः तहसीलदार तथा मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ़ के पट्टा संख्या 5361दिनांक 24.06.1997 ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ हाल नौगांवा को विवादित आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त संबंध में अपीलाण्ट के पिता व रेस्पोडेण्ट के ससुर व दादा के नाम की विस्तृत जांच करें तथा जांच उपरान्त पुनः नियमों के आलोक में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)